ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) घुमारवीं, जिला बिलासपुर की उपयोक्ता प्रभार निधियों की अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 11/2005 से 03/2015

1 प्रारम्भिक

हिमाचल प्रदे ा सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0–एफ(1)3/2000 ई0–गर्वनेन्स, दिनांक 03.09.2005 के दृष्टिगत, ई0–गर्वनेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) घुमारवीं, जिला बिलासपुर की अवधि 11/2005 से 3/2015 की अपयोक्ता प्रभार निधियों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, इस विभाग के श्री चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 19.3.2015 से 28.4.2015 के दौरान घुमारवीं में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित हैं। निधि लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

क्र0 सं0	वर्ष	आय	व्यय
1	2005–06	3/2006	3/2006
2	2006–07	10/2006	10/2006
3	2007–08	7/2007	3/2008
4	2008–09	1/2009	2/2009
5	2009–10	6/2009	7/2009
6	2010–11	4/2010	9/2010
7	2011–12	7/2011	9/2011
8	2012–13	7/2012	4/2012
9	2013–14	1/2014	5/2013
10	2014–15	7/2014	7/2014

अंकेक्षण अवधि के दौरान ई0 गर्वनेंस सोसाइटी,पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) घुमारवीं में निम्नलिखित आहरण तथा संवितरण अधिकारी कार्यरत रहेः–

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम/पद	अवधि
1	श्री प्रदीप ठाकुर, उप–मण्डलाधिकारी (ना0)	1.11.2005 से 13.7.2007
2	श्री पंकज राय, उप–मण्डलाधिकारी (ना0)	16.7.2007 से 26.2.2008
3	श्री सुमित खेंमटा, उप–मण्डलाधिकारी (ना0)	27.2.2008 से 16.8.2010
4	श्रीराम कुमार गौतम, उप–मण्डलाधिकारी (ना0)	21.8.2010 से 3.5.2012
5	श्रीमती मानसी सहाय ठाकुर, उप–मण्डलाधिकारी (ना0)	3.5.2012 से 16.1.2013
6	श्री राजीव कुमार, उप–मण्डलाधिकारी (ना0)	30.1.2013 से 31.3.2015

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी प्रभाव हेतु उतरदायी नहीं होगा।

2 अंकेक्षण शुल्क

ई0 गर्वनेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) घुमारवीं की अवधि 11/2005 से 3/2015 की उपयोक्ता प्रभार निधियों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क आंकलन ₹27,000/– किया गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 177 दिनांक 27.04.2015 द्वारा उपमण्डलीय अधिकारी (नागरिक) घुमारवीं से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थिति

(क) ई0 गर्वनेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) घुमारवीं द्वारा प्रस्तुत सोसाईटी के अवधि 11/2005 से 3/2015 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **"परिशिष्ट–क"** पर भी दिया गया है।

वित्त वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियां	ब्याज	योग	व्यय	अन्तशेष
2005–06	––	89041	––	89041	75034	14007
2006–07	14007	697764	154	711925	237740	438185
2007–08	438185	468055	10759	916999	491290	425709
2008–09	425709	744328	41307	1211344	864455	346889
2009–10	346889	689373	––	1036262	710660	325602
2010–11	325602	633235	––	958837	706533	252304
2011–12	252304	700080	52188	1004572	936195	68377
2012–13	68377	777857	––	846234	483684	362550
2013–14	362550	991290	––	1353840	1063851	289989
2014–15	289989	1322371	––	1612360	1064865	547495

(ख) अन्तशेष का विवरण

रोकड़ बही के अनुसार शेष	5,47,495
ई0 गवर्नेंस से सम्बन्धित बैंक खाता संख्या 88820100006102 में दिनांक 31.3.2015 को जमा राशि	6,35,043.20
वित्तीय स्थिति एवं बैंक में जमा राशि में अन्तर (635043.20 – 547495) =	87,548.20

(ग) बैंक समाधान विवरणी

दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही के अनुसार शेष **5,47,495**

(i) बैंक से प्राप्त ब्याज जिसे रोकड़ बही में लेखाबद्ध नहीं किया गया

दिनांक	राशि	
3.3.2008	7768	
1.9.2008	4196	
1.3.2012	1851	
1.9.2012	1778	
1.3.2013	4873	
2.9.2013	4983	
3.3.2014	4505	
3.9.2014	8367	
5.3.2015	10581	**(+) 48902**

(ii) चैकों द्वारा भुगतान किया गया परन्तु इन चैकों का भुगतान बैंक से नहीं किया गया

चैक नम्बर	दिनांक	राशि	
515544	17.1.2007	169	
709814	19.9.2008	180	
709813	19.9.2008	50	
449135	20.3.2005	3600	
449136	20.3.2015	4020	
449137	20.3.2015	900	
449138	20.3.2015	1400	
449139	20.3.2015	18360	
449140	20.3.2015	740	
449141	20.3.2015	9500	**(+) 38,919**

(iii) दिनांक 9.4.2014 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ₹42703 का भुगतान किया गया लेकिन बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया गया **(+) 42,703**

(iv) चैक संख्या 504379, ₹102, दिनांक 15.10.10 को जारी किया गया जिसे दिनांक 16.10.10 को बैंक से भुनाया गया था, परन्तु रोकड़ बही में उपरोक्त चैक का दिनांक 23.6.2011 को दोबारा भुगतान दर्शाया गया था **(+) 102**

(v) **रोकड़ बही में आय/व्यय के शेष जो गलत दर्शाये गए थे**

दिनांक	विवरण	राशि
12.5.2008	रोकड़ बही के अनुसार ₹1230 प्राप्त हुई लेकिन बैंक में ₹1430 जमा की गई, बैंक में ₹200 अधिक जमा	200
14.5.2008	ई0 प्रमाण पत्र की ₹70 प्राप्त करके बैंक में	70

	जमा की गई परन्तु रोकड़ बही मे जमा की प्रविष्टि नहीं की गई	
12.6.2008	हिमरिश की ₹875 प्राप्त करके बैंक मे जमा की गई परन्तु प्राप्ति की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई	875
18.7.2008	रोकड़ बही के अनुसार ₹6470 प्राप्त हुई लेकिन बैंक में ₹6520 जमा की गई अर्थात ₹50 अधिक जमा की गई	50
26.7.2008	लाईसैंस पंजीकरण की ₹1930 व ई प्रमाण की ₹240 अर्थात कुल ₹2170 प्राप्त की गई। यह राशि बैंक में जमा पाई गई परन्तु प्राप्ति की प्रविष्टि रोकड़ बही में नही की गई थी	2170
5.8.2008	रोकड़ बही में ₹1850 प्राप्त की गई परन्तु बैंक में ₹1860 जमा की गई, अर्थात बैंक में ₹10 अधिक जमा की गई	10
15.11.2008	रोकड़ बही में प्राप्त ₹2260, बैक में जमा ₹2510, अधिक जमा ₹250	250
21.11.2008	रोकड़ बही में प्राप्त ₹2465, बैक में जमा ₹2470, अधिक जमा ₹5	5
22.11.2008	रोकड़ बही में प्राप्त ₹2445, बैंक में जमा ₹2495, अधिक जमा ₹50	50
25.11.2008	दिनांक 22.11.2008 वाहन को व सारथी प्राप्त ₹560 व 24.11.2008 को वाहन व सारथी प्राप्त ₹1930 अर्थात कुल प्राप्त ₹2490 को बैंक में जमा किया गया परन्तु प्राप्ति की रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई	2490
26.11.2008	दिनांक 25.11.2008 को प्राप्त ₹1460 (वाहन व सारथी), दिनांक 26.11.2008 को बैंक में जमा की गई, परन्तु प्राप्ति की रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई	1460
27.11.2008	दिनांक 27.11.2008 को वाहन व सारथी की कुल प्राप्त ₹5980, दिनांक 27.11.2008 को बैंक में जमा की गई, लेकिन प्राप्ति की रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई	5980
26.11.2008	वाहन व सारथी की प्राप्त राशि बैंक में जमा की गई लेकिन प्राप्ति राशि की रोकड़ बही में	1050

	प्रविष्टि नही की गई	
31.12.2008	दिनांक 29.12.2008 को ई–प्रमाण की प्राप्त ₹580 को बैंक में जमा किया गया, लेकिन इस राशि की प्राप्ति की रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई	580
7.3.2011	रोकड़ बही में प्राप्त ₹4102, बैंक में जमा ₹4132, अधिक जमा ₹30	30
6.5.2011	₹1470 प्राप्त हुई जिन्हें बैंक में जमा किया गया, परन्तु रोकड़ बही में ₹1170 के जमा की प्रविष्टि की गईं, रोकड़ बही में ₹300 की कम प्राप्ति दर्शाई गई	300
25.5.2012	वाऊचर के अनुसार ₹683 का भुगतान किया गया, लेकिन रोकड़ बही में गलती से ₹805 का भुगतान दर्शाया गया, इस प्रकार ₹122 का अधिक भुगतान दर्शाया गया	122
27.7.2012	₹2810 प्राप्त हुई जिन्हें बैंक खाते में जमा किया गया, लेकिन रोकड़ बही में ₹2107 के जमा की प्रविष्टि की गई, इस प्रकार रोकड़ बही में ₹703 कम जमा दर्शाई गई	703
28.10.2012	रोकड़ बही के अनुसार ₹1612 प्राप्त हुई परन्तु बैंक में ₹1622 जमा की गई, इस प्रकार ₹10 अधिक जमा की गई	10
6.11.2012	₹1740 प्राप्त हुई जिन्हें बैंक मे जमा किया गया परन्तु रोकड़ बही में ₹1640 की प्राप्ति दर्शाई गई इस प्रकार ₹100 कम की प्राप्ति दर्शाई गई	100
26.12.12	वाऊचर/चालान द्वारा ₹685 का भुगतान किया गया, परन्तु रोकड बही में ₹840 का भुगतान दर्शाया गया। इस प्रकार रोकड़ बही में ₹155 का अधिक भुगतान दर्शाया गया	155
7.1.2013	रोकड़ बही में ₹2325 प्राप्त हुई लेकिन बैंक में ₹2375 जमा की गई, इस प्रकार ₹50 अधिक जमा की गई	50
22.7.2013	रोकड़ बही में ₹2220 का प्राप्ति दर्शाई गई जबकि वास्तव में ₹2225 प्राप्त हुई थी जिन्हें	5

	बैंक में जमा किया गया था, इस प्रकार रोकड़ बही में ₹5 की कम प्राप्ति दर्शाई गई		
19.6.2014	₹4780 प्राप्त करके बैंक में जमा की गई परन्तु रोकड़ बही में ₹3280 की प्राप्ति दर्शाई गई। इस प्रकार ₹1500 रोकड़ बही में ₹1500/– की कम प्राप्त दर्शाई गई	1500	
10.10.2014	₹4420 प्राप्त हुई जिन्हें बैंक में जमा किया गया, परन्तु रोकड़ बही में ₹4020 की प्राप्ति दर्शाई गई, इस प्रकार रोकड़ बही में ₹400 की कम प्राप्ति दर्शाई गई	400	
4.2.2014	₹4455 प्राप्त हुई लेकिन रोकड़ बही में ₹4405 की रोकड़ बही में प्राप्ति दर्शाई गई, इस प्रकार ₹50 की कम प्राप्ति दर्शाई गई	50	**(+) 18,665**

(vi)	दिनांक 22.02.2014 को ₹402 का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से श्री सुरेश कुमार को किया गया, परन्तु भुगतान की प्रविष्टि रोकड़ बही में नही की गई	**(–) 402**
(vii)	चैक संख्या 819176, दिनांक 7.11.2009 द्वारा श्री सुरेश कुमार को ₹1000 का भुगतान किया गया, परन्तु भुगतान की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई	**(–) 1000**
(viii)	**बैंक द्वारा डैबिट राशि जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ नहीं की गई**	

दिनांक	**राशि**
6.7.2011	48
7.4.2012	39
6.7.2012	40
5.10.2012	34
7.1.2013	33
6.4.2013	28
5.7.2013	2.80
4.7.2013	2.80
4.7.2013	5.60
8.8.2013	37
8.8.2013	2.80
8.10.2013	2.80
8.10.2013	48
3.1.2014	42
12.2.2014	10
13.2.2014	5

10.4.2014	48		
8.7.2014	33		
27.8.2014	5		
29.11.2014	45		
7.1.2015	37		(–) **548.80**

(ix) **प्राप्त राशियां जिन्हें बैंक में जमा नहीं किया गया**

दिनांक	प्राप्ति का विवरण	राशि	
19.3.2008	हिमरिश की दिनांक 15, 17 व 18.3.2008 की प्राप्त राशि, जिसे बैंक में जमा नहीं किया गया	2175	
28.7.2008	ई–प्रमाण की दिनांक 25.7.2008 की प्राप्त ₹240 को बैंक में जमा नहीं किया गया	240	
28.8.2008	दिनांक 26.8.2008 को हिमरिस की प्राप्त राशि बैंक में जमा नहीं की गई	975	
8.9.2008	दिनांक 22.8.2008 को एस0डी0 एम0 कार्यालय से प्राप्त ई प्रमाण की राशि जमा नहीं की गई	10	(–) **3,400**

(x) बैंक में कम जमा राशियां

8.10.2008	कुल राशि ₹3280 (₹1580 + ₹450 + 1250) प्राप्त हुई लेकिन बैंक में ₹2280 ही जमा की गई इस प्रकार ₹1000 कम जमा की गई	1000	
25.3.2013	₹2115 प्राप्त हुई लेकिन बैंक में ₹2112 जमा की गई, इस प्रकार ₹3 कम जमा की गई	3	
30.4.2013	₹1058 रोकड़ बही के अनुसार प्राप्त हुए, परन्तु बैंक में ₹1057 ही जमा की गई	1	
24.7.2014	₹4496 प्राप्त की गई, लेकिन बैंक में ₹4053 जमा की गई, इस प्रकार ₹443 कम जमा की गई	443	
29.11.2014	₹1770 प्राप्त हुई लेकिन बैंक में ₹1750 जमा की गई, इस प्रकार ₹20 कम जमा की गई	20	(–) **1467**

(xi) रोकड़ बही में गलत प्रविष्टियां करना

18.4.2009	रोकड़बही में ₹2530 की प्राप्ति की दो बार प्रविष्टियां करना	2530	
6.7.2009	रोकड़बही में ₹1000 की प्राप्ति की दो बार प्रविष्टि करना	1000	
27.12.2014	₹47,612 का उपायुक्त बिलासपुर को भुगतान किया गया था, लेकिन रोकड़ बही में ₹38,217 का भुगतान दर्शाया गया, इस प्रकार रोकड़	9,395	(–) **12,925**

बही में ₹9,395 का कम भुगतान दर्शाया गया

(xii)	चैक संख्या 449127 द्वारा ₹42,000 का भुगतान किया गया, जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई	**(–) 42,000**
	बैंक पास बुक के अनुसार 31.3.2015 को शेष	**6,35,043.20**

(घ) ई–गर्वनेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) घुमारवीं की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति में जमा राशि तथा बैंक में जमा राशि में ₹87,548.20 के अन्तर के बारे में

ई–गर्वनेन्स सोसाइटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) घुमारवीं की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति तथा बैंक मे जमा राशि में दिनांक 31.3.2015 को अन्तर ₹87,548.20 पाया गया। इस प्रकरण में जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में प्राप्ति व व्यय की सावधानीपूर्वक प्रविष्टियां उचित प्रकार से नहीं की जा रही थी तथा प्रति माह अन्तशेष निकालकर बैंक के साथ मिलान करके बैंक समाधान विवरणी भी तैयार नहीं की गई और न ही मासांत में निकाले गए रोकड़ बही के शेष का विवरण देकर यह सत्यापित किया गया कि अन्तशेष की कितनी बैंक खातें में जमा है व कितनी राशि हस्तगत है। अंकेक्षण में यी भी पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में अनेकानेक त्रुटियां पाई गई, जिनका विस्तृत उल्लेख उपरोक्त वर्णित **पैरा 3(ग)** में दिया गया है। रोकड़ बही में की गई गलत प्रविष्टियों, बैंक मे जमा राशियां जिनकी प्रविष्टियां रोकड़ बही में नहीं की गई थी, बैंक द्वारा जमा ब्याज जिनकी रोकड़ बही में प्रविष्टियां नहीं की गई थी अथवा रोकड़ बही में भुगतान के सम्बन्ध में गलत/छोडी गई प्रविष्टियों को रोकड़ बही में लेखा परीक्षा के दौरान दिनांक 24.4.2015 को करके अन्तर का समाधान करने का प्रयास किया गया है। अतः रोकड़ बही को उचित प्रकार से लेखांकित न करना, बैकं जमा के साथ रोकड़ बही का मिलान न करना अपने–आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उपरोक्त वर्णित अन्तरों को ध्यान से रखते हुए रोकड़ बही के रख–रखाव में आवश्यक सुधार व अन्तरों का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4 सावधि निवेश

रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति की जाँच करने पर पाया गया कि ई0–गवर्नेंस निधि से 31.3.2015 को कोई भी राशि सावधि जमा खाते में निवेश नहीं की गई थी जबकि बैंक खाते में 31.3.2015 को ₹6,35,043.20 जमा थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके ई0–गवर्नेंस निधि में पड़ी अनुपयुक्त राशियों, जिनकी निकट भविष्य में

आवश्यकता नहीं है, को सावधि लेखों में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित हो सके जिसमे से ई0–गवर्नेंस से सम्बन्धित गतिविधियों पर व्यय किया जा सके।

5 ई0–गवर्नेंस सोसायटी द्वारा प्राप्त ₹4,866 को जमा न करना

लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही के अनुसार प्राप्त राशियों को या तो जमा नहीं किया गया था या कम जमा किया गया था।

क्र0 सं0	प्राप्ति की तिथि	प्राप्ति का विवरण	प्राप्त राशि	जमा राशि	कम जमा राशि
1	19.3.2008	दिनांक 15, 17 व 18.3.2008 की हिम रिश की प्राप्त राशि	2175	––	2,175
2	28.7.2008	दिनांक 25.7.2008 को ई0 प्रमाण की प्राप्त राशि	240	––	240
3	28.8.2008	दिनांक 26.8.2008 को हिम रिश की प्राप्त राशि	975	––	975
4	8.9.2008	दिनांक 22.8.2008 को ई0–प्रमाण की प्राप्त राशि	10	––	10
5	8.10.2008	दिनांक 7.10.2008 को ई प्रमाण की प्राप्त राशि	3280	2280	1,000
6	25.3.2013	दिनांक 22.3.2013 को लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन की प्राप्त राशि	2115	2112	3
7	24.7.2014	दिनांक 23.7.2014 को लाईसैंस/ रजिस्ट्रेशन से प्राप्त राशि	4496	4053	443
8	29.11.2014	दिनांक 18.11.2014 को लाईसैंस/ रजिस्ट्रेशन से प्राप्त राशि	1770	1750	20
				योग	**₹4,866**

इस सन्दर्भ में लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 174, दिनांक 22.4.2015 द्वारा उपरोक्त मामला उपमण्डलाधिकारी (नागरिक)–एवं–आर0एल0ए0 घुमारवीं के ध्यान में लाया गया लेकिन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः प्राप्त राशियों को बैंक में न जमा करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कम जमा राशियों की उचित माध्यम से वसूली करके इन्हें निधि में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 उप–मण्डल कार्यालय की मदों के क्रय हेतु व्यय की गई ₹4,475 की प्रतिपूर्ति न करना

ई0 गवर्नेंस निधि से निम्नविवरणानुसार ₹4,475 का व्यय उपमण्डलाधिकारी (ना0) कार्यालय से सम्बन्धित मदों पर किया गया था, जिसकी बजट प्रावधान होने पर प्रतिपूर्ति करके यह राशि ई0गवर्नेंस निधि में जमा की जानी थी। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उपरोक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके ई0–गवर्नेंस निधि में जमा नहीं की गई थी। अतः ई0–गवर्नेंस निधि से उप–मण्डलाधिकारी कार्यालय हेतु किए गए व्यय की ₹4,475 की प्रतिपूर्ति करके ई0–गवर्नेंस निधि में जमा की जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	भुगतान की तिथि	भुगतान का उद्देश्य	राशि	टिप्पणी
1	12.3.2009	लैण्ड रिकॉर्ड शाखा हेतु टोनर क्रय करना	2,475	स्वीकृति के अनुसार राशि की प्रतिपूर्ति करके राशि ई0–गवर्नेंस निधि में जमा की जानी थी
2	19.2.2008	श्री अमरजीत को कोर्ट फीस का भुगतान	2,000	स्वीकृति की अनुसार राशि की प्रतिपूर्ति करके राशि ई0–गवर्नेंस निधि में जमा की जानी थी
		योग	**₹4,475**	

7 अग्रिम के रूप में भुगतान की गई ₹1,91,620 का समायोजन न करना

ई0 गवर्नेंस निधि से ई0–गवर्नेंस केन्द्र घुमारवीं के निर्माण कार्य हेतु श्री विजय कुमार कनिष्ठ अभियन्ता श्री बाबा बालक नाथ शाहतलाई मन्दिर ट्रस्ट को निम्न विवरणानुसार ₹1,91,620 अग्रिम के रूप में भुगतान की गई थी। रोकड़ बही में उक्त अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशियों का समायोजन नही किया गया था। अतः अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशियों का समयोजन न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब इन अग्रिम के रूप में भुगतान की राशि में से किए गए व्यय से सम्बन्धित वाऊचर कनिष्ठ अभियन्ता से प्राप्त करके, किए गए व्यय को आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित एवं समायोजित करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	भुगतान की तिथि	भुगतान की गई राशि
1	15.5.2008	50,000
2	21.6.2008	50,000
3	31.10.2008	35,000

4	24.7.2008	13,630
5	18.11.2008	30,000
6	14.1.2009	5,620
7	14.1.2009	7,370
	योग	**₹1,91,620**

8 हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रोनिक कारपोरेशन खलीनी शिमला को अग्रिम के रूप में किए गए ₹1,89,930 के भुगतान के समर्थन में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति तथा अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रोनिकस कॉरपोरेशन खलीनी शिमला–09 को चैक संख्याः 709838, दिनांक 12.2.2009 द्वारा ₹1,89,930/– का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया था। रोकड़ बही में यह विवरण नहीं दिया गया था कि यह भुगतान किस उद्देश्य हेतु किया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त अग्रिम भुगतान के समर्थन में प्रोफार्मा इन्वाईस, भुगतान वाऊचर तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई और न ही अग्रिम भुगतान के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए गए। अतः उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में भुगतान वाऊचर, प्रोफार्मा इन्वाईस, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति तथा अग्रिम भुगतान के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करके अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

9 तहसीलदार झण्डुता को भुगतान की गई ₹90,000 के समर्थन में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति तथा अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे

अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि तहसीलदार झण्डुता को चैक संख्या 515528, दिनांक 4.8.2006 द्वारा ₹90,000/– का भुगतान किया था तथा इस भुगतान की प्रविष्टि रोकड़ बही में दिनांक 5.10.2006 को की गई थी। उपरोक्त भुगतान के समर्थन में भुगतान वाऊचर, भुगतान प्राप्ति के सत्यापन हेतु भुगतान प्राप्ति की रसीद लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। अभिलेख की पड़ताल से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह राशि ई0–गवर्नैंस के उत्थान से सम्बन्धित प्रयोजन हेतु दी गई थी या किसी अन्य उद्देश्य हेतु। अतः भुगतान की तिथि को रोकड़ बही में प्रविष्टि न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भुगतान से सम्बन्धित वाऊचर, भुगतान प्राप्ति की रसीद, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व भुगतान किस उद्देश्य हेतु किया गया था, इससे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करके अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

10 संविदाकार को किए गए ₹81,537 के भुगतान से सम्बन्धित वाऊचर एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही के अनुसार निम्न विवरणानुसार श्री देवी राम सपुत्र श्री सुन्दर राम निवासी घुमारवीं संविदाकार को ई0–गवर्नेंस सैन्टर घुमारवी में काऊंटर के निर्माण कार्य हेतु ₹81,537 का भुगतान किया गया था। इस भुगतान के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित वाऊचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिनके अभाव में किए गए भुगतान की जाँच नहीं की जा सकी और न ही यह पता चल सका कि भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया है अथवा कार्य करने के पश्चात् भुगतान किया गया है। इस सन्दर्भ में लेखा परीक्षा अधियाचना संख्याः 173, दिनांक 21.4.2015 द्वारा यह मामला उपमण्डलाधिकारी एवं (आर0एल0ए0) घुमारवीं के ध्यान में लाया गया लेकिन उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः श्री देवी राम संविदाकार को किए गए ₹81,537 के समर्थन में भुगतान वाऊचर एवं अन्य वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

क्र0 सं0	भुगतान की तिथि	राशि
1	6.11.2006	30,000
2	20.11.2006	23,037
3	9.1.2007	28,500
	योग	**₹81,537**

11 उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर को किए गए ₹7,27,295 के भुगतान से सम्बन्धित रसीदें प्रस्तुत न करना

ए0डी0एम0 बिलासपुर एवं सचिव ई0–गवर्नेंस सोसाईटी बिलासपुर के पत्र संख्याः ई–गवर्नेंस/03/बी0एल0पी0–10475, दिनांक 15 मार्च, 2008 द्वारा उपमण्डलाधिकारी (ना0) एवं (आर0एल0ए0) घुमारवीं को आदेश दिए गए थे कि ई–गवर्नेंस निधि घुमारवीं में ₹1 लाख से अधिक जमा राशि को ई–गवर्नेंस सोसायटी बिलासपुर के खातें में जमा किया जाए तथा भविष्य में भी ई–गवर्नेंस निधि घुमारवीं में एक लाख रुपये से अधिक जमा राशि को समय–समय पर ई–गवर्नेंस सोसायटी बिलासपुर में जमा किया जाए। उपरोक्त पत्र की अनुपालना में ई–गवर्नेंस निधि (आर0एल0ए0) घुमारवीं के खाते से ई0–गवर्नेंस सोसायटी बिलासपुर को निम्न विवरणानुसार ₹7,27,295/– का भुगतान किया गया था। इस भुगतान के सत्यापन हेतु ई–गवर्नेंस सोसायटी बिलासपुर से राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित रसीदें प्राप्त नहीं की गई थी, जिसके अभाव में कृत

भुगतान का सत्यापन नही किया जा सका। अतः अपेक्षित रसीदें आगामी अंकेक्षण के सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	भुगतान की तिथि	राशि
1	26.3.2008	2,36,910
2	21.6.2008	1,15,000
3	9.12.2008	1,00,000
4	28.6.2009	1,00,000
5	24.8.2009	24,000
6	1.1.2010	40,000
7	3.9.2011	44,695
8	15.5.2013	19,078
9	27.12.2014	47,612
	योग	**₹7,27,295**

12 ई0–गवर्नेंस निधि से ₹35,000 का अनुचित व्यय करना

ई0–गवर्नेंस निधि (आर0एल0ए0) घुमारवीं से ग्रीष्मोत्सव समिति घुमारवीं को निम्न विवरणानुसार ₹35,000/– का भुगतान विज्ञापन हेतु किया गया था, जबकि ई0–गवर्नेंस नियमों में इस तरह का व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं था और न ही नियमों के बाहर भुगतान/व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इस प्रकार यह व्यय ई–गवर्नेंस निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त अनियमित व्यय का सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाए अन्यथा कृत अनियमित व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके ₹35,000/– ई–गवर्नेंस निधि में जमा की जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	भुगतान की तिथि	राशि
1	19.10.2007	5,000
2	23.4.2008	10,000
3	2.4.2009	20,000
	योग	**₹35,000**

13 औपचारिक्ताओं को पूर्ण किए बिना खुले बाजार से सामग्री क्रय करना

लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ई0–गवर्नेंस निधि से निम्न विवरणानुसार औपचारिक्ताओं को पूर्ण किए बिना ही खुले बाजार से विविध सामग्री क्रय की

गई थी। इस सामग्री को क्रय करने हेतु न तो कुटेशनें आमन्त्रित की गई थी अैर न ही यह क्रय दर संविदा के आधार पर किया गया था। इस प्रकार सामग्री का क्रय करने हेतु कोई भी औपचारिक्ता पूर्ण न करने पर खुले बाजार की प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया। अतः औचारिक्ताओं को पूर्ण किए बिना अनियमित रूप से खुले बाजार से क्रय की गई सामग्री का सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाए व अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाए तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता का न दोहराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	फर्म का नाम/बिल संख्या/दिनांक	सामग्री का विवरण	भुगतान की तिथि	मात्रा	दर	राशि
1)	मै0 नैट पवाईंट मेन मार्किट बिलासपुर, बिल नम्बर 269, दिनांक 14.2.2006	सिगनेचर पैड़	10.3.2006	1 नम्बर	2750	2750
		डी.डी.एस.यू.डैटा कारटेज		7 नम्बर	570	3990
		1 जी.वी0 पैन ड्राईव		1 नम्बर	3650	3650
						10390
					वैट	**415.60**
					योग	**₹10,805.60**
2)	मैं0 एच पी डौक्यूमैन्टस सैल्यूशन कं0 सुन्दरनगर बिल नम्बर 4238, दिनांक 1.8.2011	यैलो टोनर कार्टेज	1.9.2011	1 नम्बर	4600	4600
		मजैन्टा टोनर कार्टेज		1 नम्बर	4600	4600
		जामुनी टोनर कार्टेज		1 नम्बर	4600	4600
						13,800
					वैट 5%	**690**
					योग	**₹14,490**
3)	मैं0 एच पी डौक्यूमैन्टस सैल्यूशन कं0 सुन्दरनगर बिल नम्बर 4230, दिनांक 27.7.2011	ब्लैक कार्टेज	1.9.2011	1 नम्बार	2850	2850
					वैट	142
					योग	**₹2,992**
4)	मैं0 एच पी डौक्यूमैन्टस सैल्यूशन कं0 सुन्दरनगर बिल नम्बर 4090, दिनांक 19.5.2011	ब्लैक टोनर	31.5.2011	1 नम्बर	2850	2850
		यैलो टोनर		1 नम्बर	4600	4600
		जामुनी टोनर		1 नम्बर	4600	4600
		मजैन्टा टोनर		1 नम्बर	4600	4600
						16650
					वैट	**832**
					योग	**₹17,482**
5)	मैं0 एच पी डौक्यूमैन्टस सैल्यूशन कं0 सुन्दरनगर	ब्लैक टोनर	28.9.2011	1 नम्बर	2850	2850
		क्लर टोनर		3 नम्बर	4600	**13800**
						16650

	बिल नम्बर 4359, दिनांक 9.9.2011				**वैट**	**832**
					योग	**₹17,482**
6)	मैं0 नेजर इलैक्ट्रीकल एण्ड डिजिटल सिसटम प्रा0 लि0 परवाणु, इनवाईस 2029000550, दिनांक 22.5.2014	12 वी 42 ए एच कवान्टा बरला एस0 एम0 एफ0 बैटरी	16.7.2014	9 नम्बर	3786 .60 वैट इन्स्टालेशन चार्जिज सर्विस टैक्स एजुकेशन सैस सैं0 एजुकेशन सैस	34007.40 4676.02 195 23.40 0.47 0.23
						₹38,902.52

इसके अतिरिक्त उपरोक्त क्रम संख्या (6) पर क्रय की गई बैटरियां नायब तहसीलदार भराड़ी को जारी की गई दर्शाई गई थी। यह बैटरियां उपायुक्त बिलासपुर की स्वीकृति के पश्चात् नायब तहसीलदार भराडी के कार्यालय हेतु क्रय की गई थी, परन्तु इस सामग्री के क्रय के सम्बन्ध में स्टॉक प्रविष्टियों का विवरण बिल पर नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्तयह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि ई–गवर्नेन्स निधि से तहसीलदार भराड़ी के कार्यालय हेतु उक्त बैटरियाँ किस आधार पर क्रय की गई तथा नायब तहसीलदार भराड़ी के कार्यालय से बैटरियां की प्राप्ति की रसीद भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई । अतः बैटरियों का क्रय से सम्बन्धित स्पष्टीकरण तथा सामग्री के क्रय के सम्बन्ध में स्टॉक प्रविष्टियां एवं सामग्री प्राप्ति की रसीद आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

14 वर्ष 2005–06 तथा वर्ष 2006–07 के दौरान यूज़र चार्जिज के 25 प्रतिशत भाग का भुगतान निदेशक ट्रांसपोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार को न करना तथा वर्ष 2014–15 में यूजर चार्जिज की ₹3460 का अधिक भुगतान करना

(क) परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0–एफ(1)3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनांक 3.9.2015 के अनुसार ई0 गवर्नेंस सोसाईटी द्वारा प्राप्त यूज़र चार्जिज के 25 प्रतिशत भाग का भुगतान निदेशक ट्रांसपोर्ट को किया जाना वांछित था। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2005–06 व 2006–07 के दौरान यूज़र चार्जिज के रूप में प्राप्त राशि के 25 प्रतिशत भाग का भुगतान निदेशक ट्रांसपोर्ट को नहीं किया गया था। अतः वर्ष 2005–06 व वर्ष 2006–07 के दौरान प्राप्त यूज़र चार्जिज के 25 प्रतिशत भाग का भुगतान निदेशक ट्रांसपोर्ट को न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए प्राप्त राशि के 25 प्रतिशत भाग का भुगतान निदेशक ट्रांसपोर्ट को करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

(ख) इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार यूज़र चार्जिज की प्राप्त राशि के 25 प्रतिशत भाग से अधिक राशि का भुगतान निदेशक परिवहन को किया गया था। अतः अधिक भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त अधिक भुगतान की गई राशि को भविष्य में किए जाने वाले भुगतान में समायोजित किया जाए।

क्र0 सं0	दिनांक	यूज़र चार्जिज की प्राप्त राशि	25% की दर से भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान की गई राशि
1)	4.12.2014	4050	1013	1800	787
2)	5.12.2014	4375	1094	1675	581
3)	6.12.2014	4095	1024	2370	1346
4)	22.12.2014	3015	754	1500	746
				कुल अधिक भुगतान	**₹3,460**

15 चालान के माध्यम से बैंक में जमा करवाई गई राशियों का कोष कार्यालय से मिलान न करना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ई0–गवर्नेंस निधि (आर0एल0ए0) घुमारवीं में यूज़र चार्जिज की प्राप्त राशि में से 25 प्रतिशत भाग को चालानों द्वारा बैंक में जमा करवाया जा रहा था, परन्तु इन राशियों का मिलान कोष कार्यालय के साथ नहीं किया गया, जिस कारण इन चालानों द्वारा जमा करवाई गई राशियों का वास्तविक सत्यापन सम्भवन नहीं हो सका। अतः लेखा परीक्षा अवधि से सम्बन्धित अपेक्षित मिलान अब करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में यह मिलान समय–समय पर किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

16 रोकड़ बही का रख–रखाव उचित प्रकार से न करना

ई0–गवर्नेंस निधि से सम्बन्धित रोकड़ बही का निर्माण उचित प्रकार से नहीं किया गया था। रोकड़ बही में यह विवरण भी नहीं दिया जा रहा था कि भुगतान किसे किया गया, किस उद्देश्य से भुगतान किया गया, किस बिल के विरूद्ध भुगतान किया गया व किस चैक से भुगतान किया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त के बारे पूर्ण विवरण देकर भविष्य में भी भुगतान करते समय पूर्ण विवरण रोकड़ बही में दिया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

17 स्टॉक रजिस्टरों का नियमानुसार रख–रखाव न करना

ई0—गवर्नेंस निधि से क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ करने हेतु ई0—गवर्नेंस सोसाईटी बिलासपुर द्वारा अनुमोदित ई0—गवर्नेंस फण्ड नियम के नियम 9(2)(9) में दिए गए प्रपत्र पर स्थाई व अस्थाई सामान हेतु अलग—अलग स्टॉक रजिस्ट्रों का रख—रखाव करने का प्रावधान किया गया था, परन्तु सोसाईटी द्वारा ई0—गवर्नेंस निधि से क्रय की गई वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टियों हेतु में अलग—अलग स्टॉक रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था, अपितु ई—गवर्नेंस निधि से स्थाई प्रकृति की क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टियाँ भी उपमण्डलाधिकारी कार्यालय से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर में ही की गई थी। इस प्रकार ई0—गवर्नेंस निधि से क्रय की गई वस्तुओं की उपमण्डलाधिकारी कार्यालय के स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ करना अनियमित ही नहीं आपत्तिजनक भी है। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि तथा इसके पश्चात भी ई0गवर्नेंस निधि से क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टियाँ ई—गवर्नेंस फण्ड नियम में दिए गए प्रपत्रानुसार स्टॉक रजिस्टर तैयार करके की जाएं तथा अन्य माध्यम से ई0—गवर्नेंस घुमारवीं हेतु प्राप्त कम्पयूटर इत्यादि/अन्य सामाग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ भी तदानुसार की जायें तथा सक्षम अधिकारी से स्टॉक प्रविष्टियों का सत्यापन करवाकर अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

18 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे

अंकेक्षण अवधि 11/2005 से 3/2015 के दौरान ई—गवर्नेंस निधि घुमारवीं से क्रय की गई सामग्री का नियमानुसार समय—समय पर प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जोकि एक अनियमितता है क्योंकि निधि से स्टोर/स्टॉक हेतु खरीदी गई सामग्री की विद्यमानता पर निगरानी रखने हेतु स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ई0—गवर्नेंस फण्ड नियम के नियम 9.4 के अनुसार भी वर्ष में एक बार स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अनिवार्य था। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि ई0—गवर्नेंस निधि से खरीदी गई वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमानुसार करवाया जाए ताकि इस निधि की स्थाई व अस्थाई सम्पत्तियों का आंकलन किया जा सके।

19 **लघु आपत्ति विवरणिका :—** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

20 **निष्कर्ष :—** ई—गवर्नेंस निधि लेखों के रख—रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कडे निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)(43)/2015–खण्ड–1–4960–4964, दिनाकः 5.8.15
शिमला–09
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)–एवं–सचिव–ई0–गवर्नेन्स सोसाइटी घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. जिलाधीश एवं अध्यक्ष ई0–गर्वनेन्स सोसायटी बिलासपुर हि0प्र0
3. निदेशक, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171004
4. विशेष सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002
5. श्री चम्बेल सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा ....

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009